न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा I.A.S.

प्रकरण संख्या – 60/2018 (अपील)

1. गोपाल पुत्र कान्हा उर्फ कन्हैयालाल जाति चौबदार निवासी ढाणी रेबारियान तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0

––अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये **नायब तहसीलदार चेचट** तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा

––रेस्पोडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी आदेश दिनांक 7.08.2018 मि0नं0 5/2018 न्यायालय **नायब** तहसीलदार रामगंजमण्डी कोटा कार्यवाही धारा 91 भू रा0 अधि0

उपस्थिति

श्री रामप्रसाद नागर, अभिभाषक अपीलान्ट

निर्णय

दिनांकः–26.02.2020

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा ने ग्राम सनखेडा की भूमि खसरा नम्बर 454, 455 रकबा 0.34 हे0 किस्म चारागाह में अतिक्रमण की रिपोर्ट पटवारी हल्का के आधार पर धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अर्न्तगत पश्चातवर्ती अतिकमी मानते हुए प्रकरण संख्या 5/2018 दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमण की गई भूमि से बेदखली के आदेश किया जाकर 51/– रूपये का शास्ति एवं तीन माह (90 दिवस) का सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करते हुए दिनांक 07.08.2018 को निर्णय पारित किया है।

2. उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 29.08..2018 को पेश की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवार हल्का की रिपोर्ट पर ग्राम ढाणी रेबारियान स्थित खसरा नं0 455 की रकबा 0.34 हे0 पर अतिकमी की रिपोर्ट करने पर प्रकरण दर्ज कर भूमि से बेदाल करने तथा जुर्माना 51/– कायम करने एवं 3 माह के सिविल कारावास से दण्डित किये जाने का आदेश पारित करने में गंभीर त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को जवाब एवं शहादत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये ही मनगर्जी रूप से जल्दबाजी में बिना साक्ष्य के होते हुए ही विधि विरूद्व रूप से प्रकरण में प्रार्थी अपीलान्ट को दोषी मानकर जुर्माना व सजायाब किये जाने में गंभीर त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय के

Scanned by CamScanner

समक्ष ऐसी कोई साक्ष्य हल्का पटवारी द्वारा पेश नहीं की गयी थी जिससे प्रार्थी के विरूद्व पश्चातवर्ती अतिक्रमण विवादित आराजी बाबत होना प्रथम दृष्टया प्रमाणित होता हो, न इस बारे में किसी प्रकार की सशपथ साक्ष्य या स्वतंत्र साक्ष्य ही पत्रावली में मौजूद थी फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने में गंभीर त्रुटि की है । अपीलान्ट का भूमि पर कब्जा नहीं है, पैमायश कर अपीलान्ट की खाते की भूमि के अलावा सरकारी भूमि पाये जाये तो अपीलान्ट उक्त भूमि को छोड़ने को तैयार है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश योग्य अधीनस्थ न्यायालय निरस्त फरमाया जावें ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई। पेरोकार सरकार उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस अपील अपील मेमो में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिकमी की परिभाषा में नहीं आता हे, मौके पर अपीलान्ट का कभी कोई कब्जा नहीं है पैमाईश कर अपीलान्ट की खाते की भूमि के अलावा सरकारी भूमि पाये जाने तो अपीलान्ट उक्त भूमि को छोड़ने को तैयार है तथा प्रार्थी अपीलान्ट पर अधिरोपित शास्ति की राशि भी प्रार्थी अपीलान्ट ने जमा करवा दी गयी है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावें ।

5. पेरोकार सरकार ने अपनी बहस मे कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट पटवारी ली जाकर प्रकरण दर्ज कर नोटिस पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दिया है। रिपोर्ट पटवारी से अतिक्रमण, पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होना मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया है।

6. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी व बहस पर मनन किया। न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक *07*.08.201*8* के विरूद्ध यह अपील दिनांक *11*.0*1*.201*9* को पेश की गई, अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का ने रिपोर्ट पेश की है कि ***गोपाल पुत्र कान्हा उर्फ कन्हैयालाल चौबदार, निवासी ढाणी रेबारियान*** *तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ने ग्राम* ढाणी रेबारियान *की* भूमि खसरा नम्बर ***455*** रकबा *0*.34 हैक्टेयर ***किस्म चारागाह पर*** अनाधिकृत ***फसल हकत काश्त कर अतिकमण किया*** है। इनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे। रिपोर्ट पटवारी के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अर्न्तगत दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमण की गई भूमि के बावत नोटिस जारी किया जाकर उसे बेदखली के आदेश करते हुए *51*/– रूपये का जुर्माना तथा पश्चावर्ती अतिक्रमी मानते हुए 0*3* माह (*90* दिवस) के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट उक्त अतिकमित भूमि को छोड़ने को तैयार है ।

Scanned by CamScanner

7. अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से सशर्त स्वीकार की जाकर यह आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलांट ने विवादित आराजी ख0नं0 455 रकबा 0.34 हे0 किस्म चारागाह से कब्जा हटा लिया हो, तावान जमा करा दिया हो तथा भविश्य में कब्जा नहीं करने बाबत अन्डरटेकिंग *(शपथ पत्र)* अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दे तथा जिसकी पुष्टि तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा की जावें, तो इस स्थिति में सिविल कारावास का दण्ड निरस्त किया जाता है तथा शेष आदेश बाबत बेदखली एवं तावान कायमी यथावत रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 26.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(ओम कसेरा)
जिला कलक्टर
कोटा
जिला कलक्टर, कोटा

कार्यालय जिला कलक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner